[राज्य सभा में पुर:स्थापित रूप में]

2020 का विधेयक संख्यांक 28

[दि सेलरीज एंड एलाउंसिस आफ मिनीस्टर्स (अमेंडमेंट) बिल, 2020 का हिन्दी अनुवाद]

मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) विधेयक, 2020

मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) अधिनियम, 2020 है ।

5 (2) यह 9 अप्रैल, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 5 का संशोधन ।

2. मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 में, धारा 5 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 1952 का 58

"(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उस उपधारा के अधीन प्रत्येक मंत्री को संदेय संपचुअरी भत्ता कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से उद्भूत अत्यावश्यकता को पूरा करने के लिए 1 अप्रैल, 2020 से आरंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए तीस प्रतिशत तक कम किया जाएगा ।"।

निरसन और व्यावृत्ति ।

3. (1) मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) अध्यादेश, 2020 इसके द्वारा निरसित किया जाता है । 2020 का अध्यादेश सं0 4

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 (1952 का 58) मंत्रियों के संबलमों और भत्तों के संबंध में उपबंध करने संबंधी अधिनियम है ।

2. भारत, विश्व के समान, कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से जकड़ा हुआ है, जिससे देश की जनता का स्वास्थ्य और आर्थिक प्रशाखन कठिन हो गया है । उक्त महामारी के फैलाव के निवारण तथा नियंत्रण के लिए तुरंत और शीघ्र राहत के अतिरिक्त आपात सहायता उपाय किए जा रहे हैं । ऐसी स्थिति की देखभाल करने और नियंत्रण करने के उद्देश्य से विभिन्न स्रोतों से, जिसके अंतर्गत मंत्रियों के संपचुअरी भत्तों की कटौती करना भी है, संसाधनों को जुटाना आवश्यक हो गया है ।

3. उक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 में कतिपय संशोधन किया जाना अपेक्षित है । संसद् सत्र में नहीं थी और विधान के लिए तुरंत ऐसा करना आवश्यक हो गया था, इसलिए मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 4) को संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (1) के अधीन 9 अप्रैल, 2020 को प्रख्यापित किया गया था ।

4. तदनुसार, मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के स्थान पर मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) विधेयक, 2020 को संसद् में पुरःस्थापित किया जा रहा है । विधेयक में मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 की धारा 5 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि प्रत्येक मंत्री को संदेय संपचुअरी भत्ता 1 अप्रैल, 2020 से आरंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए तीस प्रतिशत तक कम किया जा सके ।

5. विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश के स्थान की पूर्ति करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
29 अगस्त, 2020

अमित शाह

उपाबंध

मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से सम्बन्धित अधिनियम, 1952
(1952 का अधिनियम संख्यांक 58)

* * * * *

मंत्रियों को संपचुअरी भत्ता ।

5. प्रत्येक मंत्री को निम्नलिखित दरों पर संपचुअरी भत्ता संदत्त किया जाएगा, अर्थात् :–

(क) प्रधानमंत्री	तीन हजार पांच सौ रुपए प्रतिमास;
(ख) प्रत्येक अन्य मंत्री जो मंत्रिमंडल का सदस्य है	दो हजार रुपए प्रतिमास;
(ग) राज्य मंत्री	एक सौ रुपए प्रतिमास;
(घ) उपमंत्री	छह सौ रुपए प्रतिमास ।

* * * * *